न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

नियमित जमानत आवेदन संख्या 815/2026

07.05.2026

आवेदक **मो0 नौशाद उर्फ कोको** की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक दिनांक 23.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। आवेदक को **पूरक असरगंज थाना काण्ड संख्या 156/2024 अन्तर्गत धारा 60, 62, 111, 112 बी. एन. एस. एवम् 25 (1) ए, 25 (1–ए), 25 (1–ए ए), 25 (1–बी) ए, 25 (1–बी) सी, 26 (1), 26 (2), 35 आर्म्स एक्ट** के अधीन गिरफ्तार किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश झा एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचक पुअनि रंधीर सिंह दिनांक 13.11.2024 को 14:10 बजे एसटीएफ टीम के द्वारा सूचना मिली कि आपके क्षेत्र में एक संगठित गिरोह आर्म्स बनाने का अवैध कारोबार संचालित किए हुए हैं तथा बिहार तथा अलग–अलग राज्य में व्यापार कर रहे हैं। सूचक ने उचित कार्यवाही कर एवं टीम गठित कर तथा अपने साथ वरीय पदाधिकारी तथा सशस्त्र बल के रहमतपुर बासा विक्रमपुर सूर्य प्रकाश कुमार उर्फ छोटू के निवास पर पहुंचे तथा घर के घेराबंदी की। तलाशी के क्रम में सूर्यप्रकाश कुमार के पूरब रुख मकान के अंदर बने दक्षिण तरफ घर के फर्श को तोड़कर बनाये गए 12/10 फिट लंबे चौड़े गड्डे से आग्नैयास्त्र बनाने का काफी सामान था, वहां पर पांच व्यक्ति आग्नैयास्त्र का निर्माण कर रहा थे। सभी पांचों व्यक्तियों को पकड़ा गया। पांचों व्यक्तियों ने अपना नाम सूर्यप्रकाश कुमार उर्फ छोटू, मो0 तनवीर आलम, आफताब आलम, मो0 परवेज तथा मो0 आजाद बताया। उक्त स्थल पर बेस मशीन चार पीस, ड्रील मशीन, हैण्ड बेस, रिमर हैंडल सहित अन्य भारी मात्रा में आग्नैयास्त्र बनाने के सामान तथा मोबाइल बरामद कर विधिवत जप्ती सूची तैयार की गयी। आगे पांचों व्यक्ति बताए कि अन्य स्थानीय लोगों के सहयोग से आग्नैयास्त्र बनाते हैं तथा आस–पास के राज्यों में ऑर्डर पर आग्नैयास्त्र सप्लाई करते हैं। आज भी 15000/– रुपए में एक पिस्टल बेचने का काम किए हैं। अब तक 06 माह के अंदर अवैध आग्नैयास्त्र का सप्लाई किया गया है। हम लोग एक अन्य फैक्ट्री बृहद् रूप में तारापुर से गाजीपुर के इलाके में हैं। उक्त बरामद सामानों के बारे में कोई भी कागजात नहीं प्रस्तुत किया गया। इस जगह का वीडियोग्राफी भी बनाया गया। आगे बताए कि हम लोगों को गिरोह का सरगना तनवीर, मो0 चुन्ना, नौशाद उर्फ कोको है, जो गाजीपुर इलाके में संचालन कर रहे हैं। उक्त पांचों व्यक्तियों को गिरफ्तार

07.05.2026

लगातार

07.05.2026

किया गया। पांचों व्यक्तियों की निशानदेही पर मिल्की खानपुर स्थित मो0 मोनाजिर हुसैन के ठिकानों पर छापामारी कर बड़ी मात्रा में आग्नैयास्त्र पाया गया, जहां पर दो व्यक्ति मो0 मोनाजिर हुसैन तथा मो0 नसीम को पकड़ा गया। मो0 मोनाजिर ने बताया कि मो0 नसीम मेरा बहनोई है। पुलिस की आहट पर तनवीर, मो0 चुन्ना तथा नौशाद उर्फ कोको भाग गये। बरामद सामानों में एचपीएसएम कंपनी का लेथ मशीन, एक यूनिक कांड यू310एस लिखा मिलिंग मशीन एवं अन्य आग्नैयास्त्र बनाने की मशीन तथा कल–पुर्जे, मोबाइल समेत दो मोटरसाइकिल पायी गयी। उक्त बरामद सामानों की भी विधिवत जप्ती सूची तैयार की गयी। दोनों व्यक्तियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। लिखित आवेदन के साथ सूचक ने अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास का भी वर्णन किया गया है, जो प्राथमिकी में दर्शित है। सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक एवं अन्य के विरुद्ध धारा 60, 62, 111, 112 बीएनएस तथा धारा 25(1-A), 25(1)(a), 25(1-AA), 25(1-B)(c), 26(1), 26(2), 35, 25(1-B)(a) शस्त्र अधिनियम अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

07.05.26

बचावपक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पूर्व में वे कोई जमानत आवेदन किसी न्यायालय अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है और काराधीन अभियुक्त के विरूद्ध 12 वाद है, जिसमें वे जमानत पर हैं। आवेदक अभियुक्त दिनांक 23.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं और वे निर्दोष हैं तथा उसे फंसाया गया है। अभियुक्त न तो घटनास्थल से पकड़ा गया है और न ही उसके पास से किसी भी प्रकार की जप्ती हुई है और उसका नाम सह–अभियुक्त के संस्वीकृति बयान में आया है। इस घटना का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। सह–अभियुक्त मो0 नसीम को बी0 ए0 संख्या 303/2025, दिनांक 23.01.2025, मो0 तनवीर आलम को बी0 ए0 संख्या 350/2025, मो0 मोनाजिर हुसैन को बी0 ए0 संख्या 374/2025, मो0 आफताब आलम को बी0 ए0 संख्या 373/2025, मो0 आजाद को बी0 ए0 संख्या 417/2025, सूर्य प्रकाश कमार को बी0 ए0 संख्या 418/2025, मो0 परवेज को बी0 ए0 संख्या 684/2025, मो0 तनवीर को बी0 ए0 संख्या 786/2025, दिनांक 01.02.2025 को विद्वान पूर्व न्यायालय अपर न्यायाधीश तृतीय के द्वारा जमानत की सुविधा दी जा चुकी है और आवेदक उसी आधार पर जमानत की सुविधा प्रदान किए जाने की प्रार्थना करते हैं।

न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

नियमित जमानत आवेदन संख्या 815/2026

जमानत आदेश दिनांक 07.05.2026

–3–

लगातार

07.05.2026

विद्वान सहायक लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यह गिरोह का सरगना है। 12 आपराधिक इतिहास है तथा आदतन अपराधी है। अतः, इसका जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख, केस डायरी का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि काराधीन अभियुक्त मो0 नौशाद उर्फ कोको के द्वारा विद्वान न्यायालय सुश्री अनन्या, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी के यहाँ आत्म–समर्पण दिनांक 24.03.2026 को किया गया और उसी दिन इनका जमानत आवेदन खारिज किया गया। आवेदक अभियुक्त दिनांक 24.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है और पूर्व आपराधिक इतिहास में जो भी केस बताया गया है, उसमें आवेदक के अनुसार वे जमानत पर हैं। पूर्व पीठासीन पदाधिकारी विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, मुंगेर के द्वारा काण्ड में अन्य सह–अभियुक्त मो0 नसीम को बी0 ए0 संख्या 303/2025, मो0 तनवीर आलम, आफताब आलम और मोनाजिर हुसैन को बी0 ए0 संख्या 350/2025, बी0 ए0 संख्या 373/2025, बी0 ए0 संख्या 374/2025, अभियुक्त सूर्य प्रकाश कुमार को बी0 ए0 संख्या 418/2025, मो0 परवेज को बी0 ए0 संख्या 684/2025, मो0 तनवीर को बी0 ए0 संख्या 786/2025 के द्वारा नियमित जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया गया है और आवेदक अभियुक्त का घटना में शामिल होना समान स्तर पर है और आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र संख्या 65/2026, दिनांक 30.03.2026 समर्पित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय आवेदक अभियुक्त को उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के साथ–साथ न्यायिक अभिरक्षा की अवधि एवं आरोप–पत्र समर्पित कर दिए जाने के आधार पर आवेदक अभियुक्त को 10,000/– रूपये के 02 प्रतिभूओं सहित बंधपत्र दाखिल करने पर न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत होता है और आवेदक अभियुक्त को निम्न शर्तों पर जमानत की सुविधा प्रदान किया जाता है।

07.05.26

(1) आवेदक अभियुक्त के एक जमानतदार निकट संबंधी होंगे।

(2) आवेदक अभियुक्त धारा 480 (3) बी0 एन0 एस0 एस0 शर्तों के अनुसार अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे।

न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
व्यवहार न्यायालय, मुंगेर
नियमित जमानत आवेदन संख्या 815/2026
जमानत आदेश दिनांक 07.05.2026

लगातार

07.05.2026

(3) आवेदक अभियुक्त का संज्ञान आदेश के पारित होने के बाद बंधपत्र स्वीकृत होगा।

(4) आवेदक अभियुक्त आरोप गठन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे। कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेंजे।

लेखापित
ह0/—
(विकास मिश्र)
जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
व्यवहार न्यायालय, मुंगेर
07.05.2026

प्रतिलिपि : श्रीमति अनन्या, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, व्यवहार न्यायालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति भेजा जाता है।

लेखापित
(विकास मिश्र)
जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
व्यवहार न्यायालय, मुंगेर
07.05.2026